उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 14355920240332

ग्राम क्रमांक : 143559 ग्राम का नाम / परगना : सरसवां(लखनऊ) तहसील : सरोजनी नगर जनपद : लखनऊ फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024) भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	--------------------------------2--------------------------------	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।							
00135	कमल सिंह / विश्वनाथ सिंह / नि. ग्राम सरसवां तह. सरोजनीनगर, जिला लखनऊ मनोज सिंह / विश्वनाथ सिंह / नि. ग्राम सरसवां तह. सरोजनीनगर, जिला लखनऊ अखण्ड प्रताप सिंह / विमल सिंह / नि. ग्राम सरसवां तह. सरोजनीनगर, जिला लखनऊ विष्णु प्रताप सिंह / विमल सिंह / नि. ग्राम सरसवां तह. सरोजनीनगर, जिला लखनऊ उदय प्रताप सिंह / विमल सिंह / नि. ग्राम सरसवां तह. सरोजनीनगर, जिला लखनऊ एम.आई. बिल्डर्स प्रा. लि. / द्वारा निदेशक सैय्यद मोहम्मद कासिम अली / नि. भ.सं. 2/24 विपुल खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ	पू1413 फ.	792ख	0.0610			
			1	0.0610	₹ 3.00	0	0

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव शून्य छः एक शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - तीन दशमलव शून्य शून्य रुपये

Data Digitally Signed by: BABU RAM

उपरोक्त उद्दरण खतौनी का वेरीफिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।

सक्षम अधिकारी: AJAY SHUKLA
तहसील: सरोजनी नगर जनपद: लखनऊ
दिनांक एवं समय: 05-03-2024 11:44:02
यह उद्दरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

कार्यालय तहसीलदार सरोजनी नगर

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 14355920240335

ग्राम क्रमांक : 143559 ग्राम का नाम / परगना : सरसवां(लखनऊ) तहसील : सरोजनी नगर जनपद : लखनऊ फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024) भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद	टिप्पणी
1	------------------------------2------------------------------	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।							
00133	कमल सिंह / विश्वनाथ सिंह / नि. ग्राम सरसवां तह. सरोजनीनगर, जिला लखनऊ मनोज सिंह / विश्वनाथ सिंह / नि. ग्राम सरसवां तह. सरोजनीनगर, जिला लखनऊ अखण्ड प्रताप सिंह / विमल सिंह / नि. ग्राम सरसवां तह. सरोजनीनगर, जिला लखनऊ विष्णु प्रताप सिंह / विमल सिंह / नि. ग्राम सरसवां तह. सरोजनीनगर, जिला लखनऊ उदय प्रताप सिंह / विमल सिंह / नि. ग्राम सरसवां तह. सरोजनीनगर, जिला लखनऊ	पू1413फ. पू1413फ. पू1413फ.	453 790 625क	0.3790 0.2020 0.0730			
			3	0.6540	₹ 32.30	0	0

कुल गाटे- तीन कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव छः पाँच चार शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - तीन दो दशमलव तीन शून्य रुपये

Data Digitally Signed by: BABU RAM

उपरोक्त उद्दरण खतौनी का वेरीफिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।

सक्षम अधिकारी: AJAY SHUKLA
तहसील: सरोजनी नगर जनपद: लखनऊ
दिनांक एवं समय: 05-03-2024 11:45:23
❶ यह उद्दरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 14355920240336

ग्राम क्रमांक : 143559 ग्राम का नाम / परगना : सरसवां(लखनऊ) तहसील : सरोजनी नगर जनपद : लखनऊ फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024) भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	------------------------------2------------------------------	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।							
00136	कमल सिंह / विश्वनाथ सिंह / नि. ग्राम सरसवां तह. सरोजनीनगर, जिला लखनऊ मनोज सिंह / विश्वनाथ सिंह / नि. ग्राम सरसवां तह. सरोजनीनगर, जिला लखनऊ अखण्ड प्रताप सिंह / विमल सिंह / नि. ग्राम सरसवां तह. सरोजनीनगर, जिला लखनऊ विष्णु प्रताप सिंह / विमल सिंह / नि. ग्राम सरसवां तह. सरोजनीनगर, जिला लखनऊ उदय प्रताप सिंह / विमल सिंह / नि. ग्राम सरसवां तह. सरोजनीनगर, जिला लखनऊ एम.आई. बिल्डर्स प्रा. लि. / द्वारा निदेशक सैय्यद मोहम्मद कासिम अली / नि. 2/24 विपुल खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ धन प्रकाश बुद्धराजा / ओम प्रकाश बुद्धराजा / नि. 144 गुलमोहन अपार्टमेन्ट 18 मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ	पू1413 फ. पू1413 फ. पू1413 फ.	791 783 784	1.9910 0.1070 0.5970		आदेश तहसीलदार सरोजनीनगर वाद स.टी-201910460514070 ता.फै.30.6.2020 खाता स.262 गाटा स.805/0.9440 व खाता स.263 गाटा स.803/0.2490 व खाता स.261 गाटा स.801/0.2920 व खाता स.136 गाटा स.791/1.9910, 783/0.1070, 784/0.5970 से विक्रेता धन प्रकाश बुधराजा पुत्र ओम प्रकाश बुधराजा नि.144 गुलमोहर अपार्टमेन्ट -18 मदन मोहन मालवीय मार्ग लखनऊ व खाता स.561 गाटा स.865/0.1010 से विक्रेता रंजीत कुमार पुत्र रामनाथ नि.2 यूसुफनगर बगियामऊ लखनऊ व खाता स.652 गाटा स.799/1.204 का पूर्ण भाग मा.गु.60ख से विक्रेता श्रीमती नीलू बुधराजा पत्नी धर्मप्रकाश बुधराजा नि.18 मदन मोहन मालवीय मार्ग लखनऊ का नाम खारिज करके क्रेता मेसर्स एम.आई. बिल्डर लि. पंजीकृत कार्यालय फ्लोर -6 न्यू जनपथ काम्पलेक्स, 9-ए. अशोक मार्ग हजरतगंज लखनऊ द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर सैय्यद मोहम्मद कादिर अली पुत्र स्व. करामत हुसैन नि.2/24 विपुलखण्ड गोमतीनगर लखनऊ का नाम बतौर स.भू.द्वारा बैनामा दिनांक 12.1.17 दर्ज हो।ह.र.का./6.7.2020 (संशोधित आदेश) आदेश तहसीलदार सरोजनीनगर वाद स.टी-201910460514070 ता.फै.8.7.2020 पूर्व पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 30.6.2020 में आंशिक संशोधन करते हुये आदेश दिया जाता है कि ग्राम सरसवां की खाता स.262 गाटा स.805/0.9440 व खाता स.263 गाटा स.803/0.2490 व खाता स.261 गाटा स.801/0.2920 व खाता स.136 गाटा स.791/1.9910, 783/0.1070,	

784/0.5970 के बकदर भाग में से रकबा 0.8577हे. विक्रेता धनप्रकाश बुधराजा पुत्र ओम प्रकाश बुधराजा नि.144 गुलमोहर अपार्टमेन्ट -18 मदन मोहन मालवीय मार्ग लखनऊ व खाता स.652 गाटा स.799/1.204 का 1/2भाग रकबा 0.602हे. मा.गु.60ख से विक्रेता श्रीमती नीलू बुधराजा पत्नी धर्म प्रकाश बुधराजा नि.18 मदनमोहन मालवीय मार्ग लखनऊ का नाम खारिज करके क्रेता मेसर्स एम.आई.बिल्डर लि. पंजीकृत कार्यालय फ्लोर -6 न्यू जनपथ काम्पलेक्स 9-ए. अशोक मार्ग हजरतगंज लखनऊ द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर सैय्यद मोहम्मद कादिर अली पुत्र स्व. करामत हुसैन नि.2/24 विपुल खण्ड गोमतीनगर लखनऊ का नाम बतौर स.भू.द्वारा बैनामा दिनांक 12.1.17 दर्ज हो।शेष आदेश पूर्वत रहेगा।ह.र.का./8.7.2020

कुल गाटे- तीन	3	2.6950	₹ 133.15	2	0

कुल क्षेत्रफल- दो दशमलव छः नौ पाँच शून्य (हेक्टेयर)   कुल भू-राजस्व - एक तीन तीन दशमलव एक पाँच रुपये

Data Digitally Signed by: BABU RAM

उपरोक्त उद्दरण खतौनी का वेरीफिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।

सक्षम अधिकारी: AJAY SHUKLA
तहसील: सरोजनी नगर **जनपद:** लखनऊ
दिनांक एवं समय: 05-03-2024 11:47:26

यह उद्दरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

प.65
23/12/2022

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (सी.डि.) लखनऊ

मू.वा.सं. 2213/2021

मनोज सिंह

बनाम

कमला सिंह वगै.

आ.प.

नकल ऑर्डरशीट 14/12/2022 की प्रति [illegible]
मय हलफनामा मय [illegible] की [illegible]
[illegible] संलग्न है

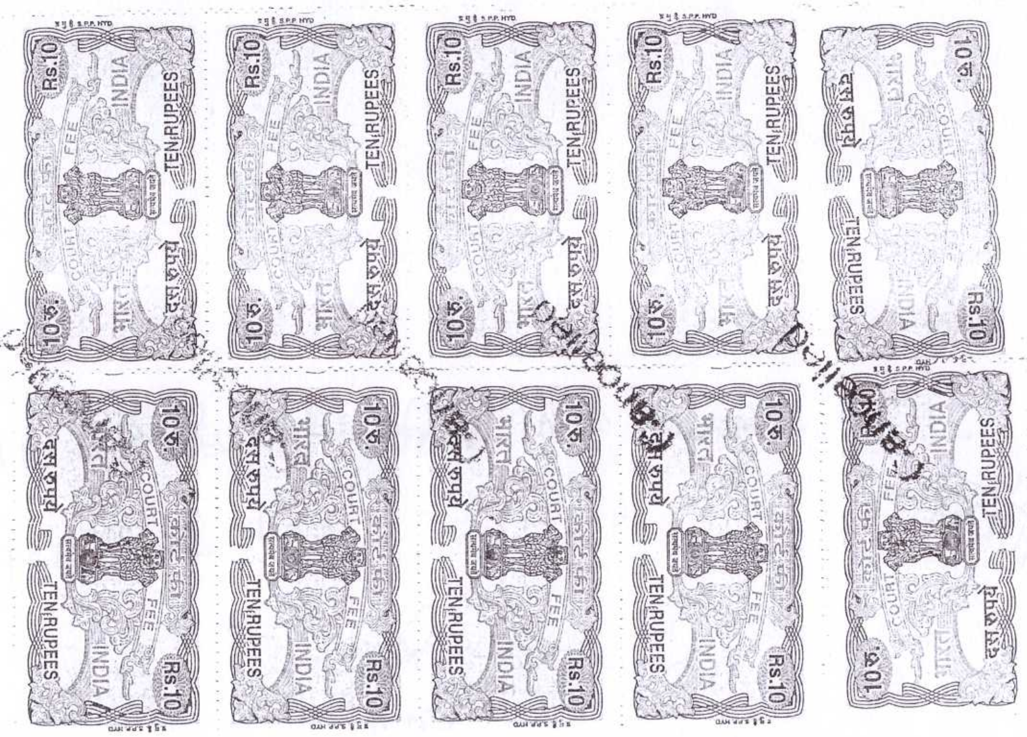

23/12/22 | 23/12/22 | 23-12-2022 | 23-12-2022

न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), लखनऊ।

मूलवाद संख्या–2218 / 2021

मनोज सिंह बनाम कमल सिंह व अ

दिनांक–15.12.2022

पत्रावली आज पेश प्रस्तुत की गयी। वाद वास्ते निस्तारण संधिपत्र कागज सं0 ए–13 नियत है। उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित। संधिपत्र कागज सं0 ए–13 न्यायालय द्वारा दिनांक 13.11.2022 को तस्दीक किया जा चुका है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पक्षकारों की ओर से संधिपत्र कागज सं0 ए–13 प्रस्तुत किया गया है। पक्षकारों की ओर से संधिपत्र कागज सं0 ए–13 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है उक्त वाद वादी के साक्ष्य के स्तर पर है इस दौरान वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा अपने विवादों का निराकरण पारस्परिक सहमति के आधार पर न्यायालय से बाहर कर लियाप गया है जो निम्न प्रकार है–

वादी पारस्परिक मौखिक समझौते, जो पक्षकारों द्वारा दिनांक 11.10.2021 को लिपिबद्ध किया गया है एवं उससे पूर्व हुये पारस्परिक मौखिक समझौता के आधार पर वाद सम्पत्ति भूमि खसरा सं0 783 क्षेत्रफल 0.1070 हे0 खसरा सं0 784 क्षेत्रफल 0.5970 हे0 खसरा सं0 790 क्षेत्रफल 0.2020 हे0 खसरा सं0 791 क्षेत्रफल 1.9910 हे0 खसरा सं0 792ख क्षेत्रफल 0.0610, खसरा सं0 864 क्षेत्रफल 1.232 हे0 खसरा सं0 866 क्षेत्रफल 0. 776 हे0 कुल क्षेत्रफल 4.966 हे0 के 1/3 भाग क्षेत्रफल 1.65506 हे0 अर्थात 16550.6 वर्गमीटर स्थित ग्राम सरसंवा, परगना लखनऊ तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ का एकमात्र स्वामी व अध्यासी है। प्रतिवादीगण पारस्परिक पारिवारिक मौखिक समझौता जो पक्षकारों द्वारा दिनांक 11.10.2021 को लिपिबद्ध किया गया है एवं उससे पूर्व हुये पारस्परिक मौखिक समझौता के आधार पर वाद सम्पत्ति भूमि खसरा सं0 783 क्षेत्रफल 0. 1070 हे0 खसरा सं0 784 क्षेत्रफल 0.5970 हे0 खसरा सं0 790 क्षेत्रफल 0.2020 हे0 खसरा सं0 791 क्षेत्रफल 1.9910 हे0 खसरा सं0 792 क्षेत्रफल 0.0610 खसरा सं0 864 क्षेत्रफल 4.966 हे0 के 2/3 भाग, क्षेत्रफल 3.3106 हे0 अर्थात 33106 वर्गमीटर स्थित ग्राम सरसंवा, परगना लखनऊ तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ के एकमात्र स्वामी व अध्यासी है। वादी तथा प्रतिवादीगण उपरोक्त वर्णित भू–भाग के अध्यासन में है तथा वे अपने–2 भाग को अपनी सुविधानुसार उपयोग व उपभोग हेतु स्वतंत्र है वे एक–दूसरे के भाग पर किसी प्रकार से अतिक्रमण व हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पक्षकारगण एक दूसरे के विरूद्ध भविष्य में वर्तमान वाद के व्यय के सम्बन्ध में कोई भी आर्थिक दावा नहीं करेंगे अर्थात पक्षकारों द्वारा वाद व्यय अपना स्वंय वहन किया जायेगा।

वादी मनोज सिंह का फोटो व हस्ताक्षर की शिनाख्त उनके अधिवक्ता ए.बी. सिंह

ने तथा प्रतिवादीगण (कमल सिंह, अरविन्द प्रताप सिंह, विष्णु प्रताप सिंह, उदय प्रताप सिंह, श्रीमती मंजू सिंह) फोटो व हस्ताक्षर की शिनाख्त उनके अधिवक्ता प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने किया है।

प्रार्थना पत्र पर सुना। पक्षकारों की ओर से संधिपत्र कागज सं0 ए–13 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उनके मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है, अतः उनका वाद प्रार्थना पत्र की शर्तो के अधीन निस्तारित कर दिया जाये।

संधिपत्र कागज सं0 ए–13 पक्षकारों को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया जिसको उन्होंने स्वीकार किया। प्रार्थना पत्र विधि संगत है, अतः वाद याचित अनुतोष की सीमा के अधीन संधिपत्र कागज सं0 ए–13 की शर्तो के अधीन स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

वाद संधिपत्र कागज सं0 ए–13 के अनुसार वाद पत्र में याचित अनुतोष से सम्बन्धित शर्तो की सीमा के अधीन स्वीकार किया जाता है। संधिपत्र कागज सं0 ए–13 इस आदेश व डिक्री का भाग होगा। संधिपत्र कागज सं0 ए–13 उपरोक्त तथा उसके आधार पर पारित इस निर्णय का कोई विपरीत प्रभाव किसी ग्राम सभा की सम्पत्ति या सरकारी सम्पत्ति पर नहीं होगा, और न ही कोई विपरीत प्रभाव राज्य संघ या किसी सक्षम प्राधिकारी, किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी के हितों व अधिकारों पर पड़ेगा और न ही किसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव होगा।

इस निर्णय का प्रभाव पक्षकारो को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों व स्वत्व पर नहीं होगा। पक्षकारों द्वारा विधिक रूप से धारित सम्पत्ति पर ही उनका अधिकार माना जायेगा। सुलहनामें के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(पूर्णिमा प्रॉजल) 14.12.22
सिविल जज (सी0डि0),
लखनऊ।

प्रमाणित प्रतिलिपि 23-12-2022

प्रधान प्रतिलिपिक
जिला एवं सत्र न्यायालय
लखनऊ

समक्षः माननीय न्य यालय व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ वर्ग),

लखनऊ

सिविल वाद संख्या 2218 सन् 2021

मनोज सिंह .... वादी

बनाम्

कमल सिंह व अन्य .... प्रतिवादीगण

नियत तिथि : 13.12.2022

प्रार्थना पत्र

अन्तर्गत आदेश–23, नियम–3, सपठित धारा–151,

दीवानी प्रकिया संहिता, 1908

पक्षकारगण निम्न निवेदन करते है:–

1. यह कि वादी द्वारा वर्तमान वाद वास्ते उदघोषणात्मक एंव स्थायी निषेधाज्ञा बाबत वाद सम्पत्ति जिसका विवरण वाद पत्र के अनुतोष प्रस्तर में दिया गया है, प्रतिवादीगण के विरुद्ध संस्थित किया गया है।

Filed on time [illegible]
13/12/22

I identify that the plaintiff, Manoj Singh has signed before me.

A. B. Singh
Advocate
U.P-1717/94
Mob-9235510160

I indentify that the defendants. Smt Manju Singh, Sri Kamal Singh, Akhand Pratap Singh, Vishnu Pratap Singh & Uday Pratap Singh had Signed before me.

13/12/2022
Pramod Kumar Srivastava Adv
UP 6758/03
Mob No - 8795829448

13/12/22
[illegible handwritten Hindi note]
A-13
A-13/10
C-11 C-5
A-12/2

A-15

2. यह कि वर्तमान वाद में प्रतिवादीगण द्वारा वादोत्तर प्रस्तुत किया गया एवं वाद बिन्दु विरचित हो चुके हैं तथा वादी द्वारा मुख्य परीक्षा शपथ पत्र दाखिल किया गया जा चुका है।

3. यह कि उक्त वाद, वादी के साक्ष्य के स्तर पर है, इस दौरान वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा अपने विवादों का निराकरण पारस्परिक सहमति के आधार पर न्यायालय से बाहर कर लिया गया है, जो निम्न प्रकार से है:—

क. कि वादी पारस्परिक पारिवारिक मौखिक समझौते, जो पक्षकारों द्वारा दिनांक 11.10.2021 को लिपिबद्ध किया गया है एवं उससे पूर्व हुए पारस्परिक पारिवारिक मौखिक समझौता के आधार पर वाद सम्पत्ति भूमि खसरा संख्या 783 क्षेत्रफल 0.1070 हेक्टेयर, खसरा संख्या 784 क्षेत्रफल 0.5970 हेक्टेयर, खसरा संख्या 790 क्षेत्रफल 0.2020 हेक्टेयर, खसरा संख्या 791 क्षेत्रफल 1.9910 हेक्टेयर, खसरा संख्या 792 ख क्षेत्रफल 0.0610, खसरा संख्या 864 क्षेत्रफल 1.232 हेक्टेयर, खसरा संख्या 866 क्षेत्रफल 0.776 हेक्टेयर कुल क्षेत्रफल 4.966 हेक्टेयर के 1/3 भाग, क्षेत्रफल 1.65506 हेक्टेयर अर्थात 16550.6 वर्गमीटर (जिसे वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में अक्षर अ ब स द व तिरक्षी हरी लाइनों से प्रदर्शित किया गया है) स्थितः ग्राम—सरसंवा, परगना—लखनऊ, तहसील—सरोजनीनगर, जिला—लखनऊ का एकमात्र स्वामी व अध्यासी है।

ख. कि प्रतिवादीगण पारस्परिक पारिवारिक मौखिक समझौता, जो पक्षकारों द्वारा दिनांक 11.10.2021 को लिपिबद्ध किया गया है एवं उससे पूर्व हुए पारस्परिक पारिवारिक मौखिक समझौता के आधार पर वाद

[illegible] [illegible] उत्तर [illegible]
है [illegible] [illegible] C-11 [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] उत्तर [illegible] द्वारा
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] द्वारा [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
उत्तर [illegible] को [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] उनके द्वारा
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] द्वारा

[illegible]
13/12/22

A-13/3

सम्पत्ति भूमि खसरा संख्या 783 क्षेत्रफल 0.1070 हेक्टेयर, खसरा संख्या 784 क्षेत्रफल 0.5970 हेक्टेयर, खसरा संख्या 790 क्षेत्रफल 0.2020 हेक्टेयर, खसरा संख्या 791 क्षेत्रफल 1.9910 हेक्टेयर, खसरा संख्या 792 ख क्षेत्रफल 0.0610, खसरा संख्या 864 क्षेत्रफल 1.232 हेक्टेयर, खसरा संख्या 866 क्षेत्रफल 0.776 हेक्टेयर कुल क्षेत्रफल 4.966 हेक्टेयर के 2/3 भाग, क्षेत्रफल 3.3106 हेक्टेयर अर्थात 33106 — वर्गमीटर स्थित: ग्राम–सरसंवा, परगना–लखनऊ, तहसील–सरोजनीनगर, जिला–लखनऊ को एकमात्र स्वामी व अध्यासी है।

ग. कि वादी तथा प्रतिवादीगण उपरोक्त वर्णित भू–भाग के अध्यासन में है तथा वे अपने –अपने भाग को अपनी–अपनी सुविधानुसार उपयोग व उपभोग हेतु स्वतंत्र है वे एक–दूसरे के भाग पर किसी प्रकार से अतिकमण व हस्तक्षेप नहीं करेगें।

घ. कि पक्षकारगण एक दूसरे के विरूद्व भविष्य में वर्तमान वाद के व्यय के सम्बन्ध में कोई भी आर्थिक दावा नहीं करेंगे अर्थात पक्षकारों द्वारा वाद व्यय अपना–अपना स्वयं वहन किया जायेगा।

4. यह कि प्रस्तुत प्रार्थनापत्र विधि सम्मत है एवं पक्षकारगण द्वारा स्वतन्त्र सम्मति एवं स्वेच्छा से किया जा रहा है।

5. यह कि न्यायहित में यह आवश्यक है कि प्रस्तुत सन्धि पत्र के आधार पर वर्तमान वाद का निस्तारण कर दिया जाए एवं सन्धि पत्र को आज्ञप्ति का अंश घोषित कर दिया जाए।

P-13/5

अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि वर्तमान वाद का निस्तारण प्रस्तुत सन्धिपत्र के आधार पर करने एवं सन्धिपत्र को आज्ञप्ति का अंश घोषित करने का आदेश पारित करने की न्यायहित में कृपा की जाए। पक्षकारगण माननीय न्यायालय की उक्त अनुकम्पा हेतु सदैव आभारी रहेंगे।

(मनोज सिंह)
वादी

(ए0 बी0 सिंह)
एडवोकेट
अधिवक्ता वादी

(कमल सिंह)

(अखंड प्रताप सिंह)

(विष्णु प्रताप सिंह)

(उदय प्रताप सिंह)

(श्रीमती मंजू सिंह)
प्रतिवादीगण

(प्रमोद श्रीवास्तव)
एडवोकेट
अधिवक्ता प्रतिवादीगण

लखनऊ, दिनांक
दिसम्बर, 13, 2022

A-13/5

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

मनोज सिंह चौहान
Manoj Singh Chauhan
जन्म तिथि / DOB: 19/06/1972
पुरुष / MALE

6029 8[illegible] 14 4424

-आम आदमी का अधिकार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता: Address:
[illegible]
[illegible] गोमती नगर, [illegible] Uttar Pradesh [illegible]
[illegible] 226010

A-17/6

... 8089 7...

... आधार ... आदमी ...

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता: S/O स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह चौहान, डी-1245, इंदिरा नगर, सामने एस.बी. इंटर कॉलेज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, 226016

Address: S/O Late Vishvanath Singh Chauhan, D-1245, INDIRA NAGAR, FRONT OF S.B.INTER COLLEGE,, Lucknow, Uttar Pradesh, 226016

help@uidai.gov.in   www.uidai.gov.in   P.O. Box No.1947, Bengaluru-560 001

उत्तर प्रदेश

A-13/7

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

अखंड प्रताप सिंह
Akhand Pratap Singh
जन्म तिथि / DOB : 21/08/1990
पुरुष / MALE

7877 7833 1392

मेरा आधार, मेरी पहचान

A-13/8

← DigiLocker

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

AADHAAR

Vishnu Pratap Singh Chauhan
DOB : 1990/08/18
MALE

4030 9679 7939

Address:

S/O: Late Vimal Singh, 232, Sarsawan Arjunganj, Sarsawan, Lucknow, Uttar Pradesh, 226002

DigiLocker Verified

आधार-आम आदमी का अधिकार

A-13/9

भारत सरकार
Government of India

उदय प्रताप सिंह चौहान
Udai Pratap Singh Chauhan
जन्म तिथि / DOB : 28/09/1992
पुरुष / Male

2429 7378 4932

आधार - आम आदमी का अधिकार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

आधार

पता:
आत्मज: विमल सिंह चौहान, सरसवां, अर्जुनगंज, लखनऊ, अर्जुनगंज उत्तर प्रदेश, 226002

Address:
S/O: Vimal Singh Chauhan, Sarsawan, Arjunganj, Lucknow, Arjunganj, Uttar Pradesh, 226002

2429 7378 4932

1947
1800 300 1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

[redacted] रत सरकार
[redacted] NDIA

मंजू सिंह
Manju Singh
जन्म तिथि/ DOB: 19/08/1968
महिला / FEMALE

2449 0832 8561

आधार-मेरा आधार, मेरी पहचान

AADHAAR

[redacted] प्राधिकरण
[redacted] OF INDIA

पता:
W/O: विमल सिंह, 232,
सुल्तानपुर रोड, सरसवान,
अर्जुनगंज, लखनऊ,
उत्तर प्रदेश - 226002

Address:
W/O: Vimal Singh, 232, sultanpur road, sarasavan, Arjunganj, Lucknow, Uttar Pradesh - 226002

2449 0832 8561

Aadhaar-Mera Aadhaar, Meri Pehachan

समक्षः माननीय न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ वर्ग) लखनऊ

सिविल वाद संख्या सन् 2021

A3/12

मनोज सिंह .... वादी

बनाम्

कमल सिंह व अन्य .... प्रतिवादीगण

मानचित्र

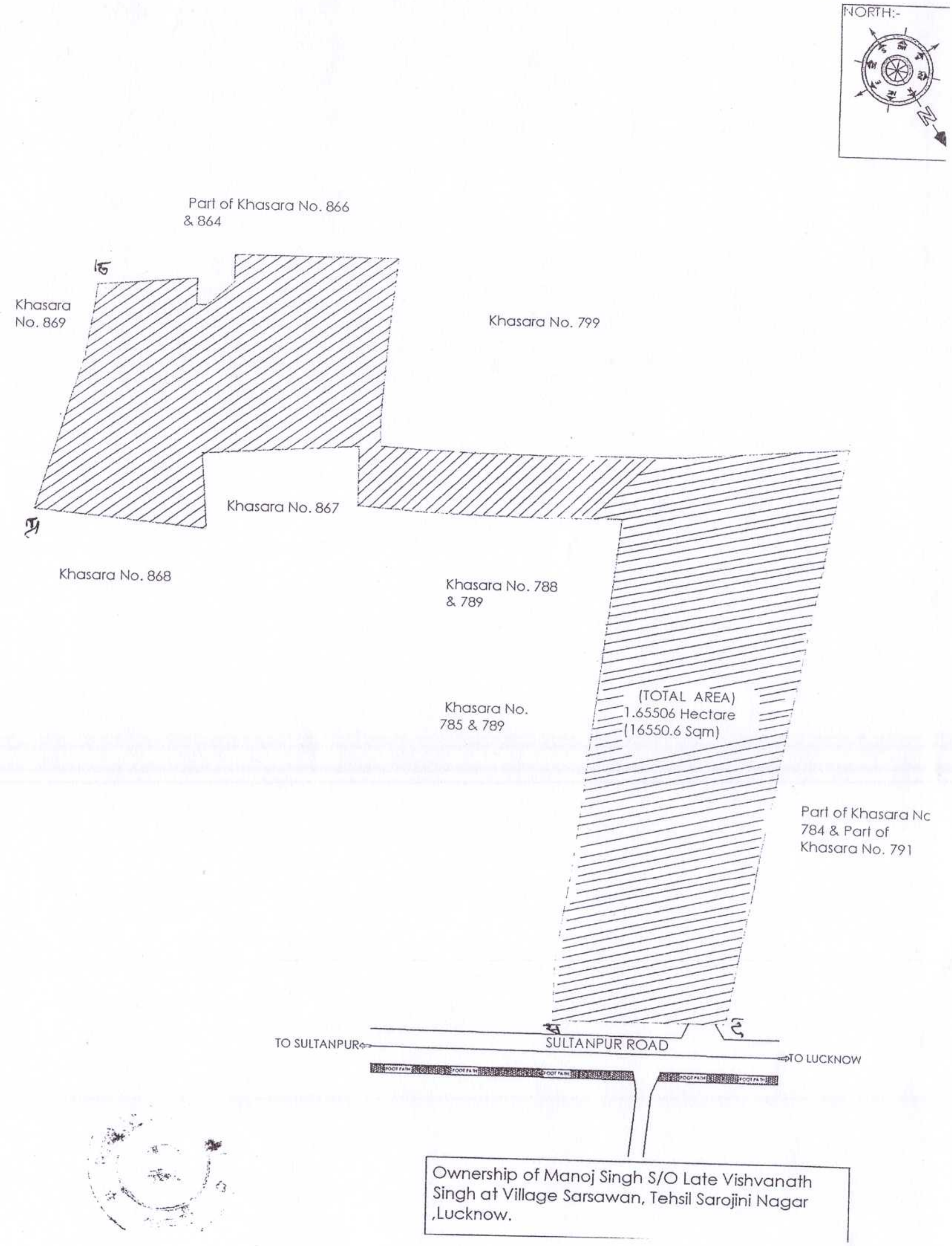

अनु०सं० 223
23/1/2023

समक्ष माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश
(वरिष्ठ वर्ग) लखनऊ
सिविल वाद - 2218/2021

मनोज सिंह

बनाम

कमल सिंह व अन्य

वाद पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

23/1/2023 | 23/1/2023 | 23-01-2023 | 23-01-02

समक्षः माननीय न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ वर्ग)
लखनऊ
सिविल वाद संख्या 2218 सन् 2021

A3/4

C.S. 4369/21
UPLK05-004529-2021

मनोज सिंह
उम्र लगभग 49 वर्ष
पुत्र स्व0 विश्वनाथ सिंह
निवासीः ग्राम–सरसंवा, तहसील–सरोजनी नगर,
जनपद–लखनऊ।

.... वादी

बनाम्

1. कमल सिंह
   उम्र लगभग 65 वर्ष
   पुत्र स्व0 विश्वनाथ सिंह
2. अखंड प्रताप सिंह
   उम्र लगभग 38 वर्ष
3. विष्णु प्रताप सिंह
   उम्र लगभग 35 वर्ष
4. उदय प्रताप सिंह
   उम्र लगभग 30 वर्ष
   पुत्रगण स्व0 विमल सिंह
5. श्रीमती मंजू सिंह
   उम्र लगभग 58 वर्ष
   पत्नी स्व0 विमल सिंह
   निवासीगणः ग्राम–सरसंवा, तहसील–सरोजनी नगर,
   जनपद–लखनऊ।

.... प्रतिवादीगण

दावा : वाद वास्ते उदघोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वाद का मूल्यांकन : रू0 12,00,000/–
(रूपये बारह लाख मात्र)
प्रदत्त न्याय शुल्क : रू0 700/–
(रूपये सात सौ मात्र)

वादी का सविनय निम्न निवेदन है:–

1. यह कि वादी वाद सम्पत्ति भूमि खसरा संख्या 783 (सात सौ तिरासी) क्षेत्रफल 0.1070 (शून्य दशमलव एक शून्य सात शून्य) हेक्टेयर, खसरा संख्या 784 (सात सौ चौरासी) क्षेत्रफल 0.5970 (शून्य दशमलव पांच नौ सात शून्य) हेक्टेयर, खसरा संख्या 790 (सात सौ नब्बे) क्षेत्रफल 0.2020 (शून्य दशमलव दो शून्य दो शून्य) हेक्टेयर, खसरा संख्या 791 (सात सौ इक्यानवे) क्षेत्रफल 1. 9910 (एक दशमलव नौ नौ एक शून्य) हेक्टेयर, खसरा संख्या 792 (सात सौ बयानवे) ख क्षेत्रफल 0.0610 (शून्य दशमलव शून्य छः एक शून्य), खसरा संख्या 864 (आठ सौ चौसठ) क्षेत्रफल 1. 232 (एक दशमलव दो तीन दो) हेक्टेयर, खसरा संख्या 866 (आठ सौ छांछठ) क्षेत्रफल 0.776 (शून्य दशमलव सात सात छः) हेक्टेयर कुल क्षेत्रफल 4.966 (चार दशमलव नौ छः छः) हेक्टेयर के 1/3 (एक/तीन) भाग, क्षेत्रफल 1.65506 (एक दशमलव छः पांच पांच शून्य छः) हेक्टेयर अर्थात 16550.6 (सोलह हजार पांच सौ पचास दशमलव छः) वर्गमीटर, स्थितः ग्राम–सरसंवा, परगना–लखनऊ, तहसील–सरोजनीनगर, जिला–लखनऊ का

6

2. यह कि उपरोक्त भूमि में वादी का 1/3 (एक/तीन) अंश जब कि प्रतिवादीगण का 2/3 (दो/तीन) अंश था, चूंकि विगत कई वर्षों से उपरोक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा था एवं उक्त भूमि नगर निगम की सीमा के अंतर्गत होने के कारण वहां पर आस–पास आवासीय कालोनी इत्यादि विकसित हो गयी हैं, इसी क्रम में वाद के पक्षकारगणों द्वारा भी अपनी उपरोक्त भूमि के अकृषक उपयोग का निर्णय लिया गया, जो कि समयानुसार लाभदायक है।

3. यह कि उपरोक्त हेतु वाद के पक्षकारगणों ने पारस्परिक सहमति के आधार पर अपनी उपरोक्त भूमि का बंटवारा अपने भाग के अनुसार कर लिया। लिपिबद्ध करने हेतु उक्त पारस्परिक बंटवारे को पक्षकारगणों द्वारा प्रपत्र दिनांक 11.10.2021 (ग्यारह अक्टूबर सन् दो हजार इक्कीस) निष्पादित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

4. यह कि उक्त पारस्परिक बंटवारे में वादी को प्राप्त भूमि का क्षेत्रफल 1.65506 (एक दशमलव छः पांच पांच शून्य छः) हेक्टेयर को प्रपत्र दिनांक 11.10.2021 (ग्यारह अक्टूबर सन् दो हजार इक्कीस) के साथ संलग्न मानचित्र में तिरछी लाईनों से दिखाया गया है।

5. यह कि यहां पर यह बताना आवश्यक है कि प्रतिवादीगणों ने उक्त पारस्परिक बंटवारे में प्राप्त भूमि को आवासीय उद्देश्य हेतु विकसित कर विभिन्न लोगों को कई भूखण्ड विक्रय किये हैं,

लिया गया है। जब कि वादी की उपरोक्त भूमि अब भी खाली पड़ी है।

6. यह कि वादी पारस्परिक मौखिक विभाजन में प्राप्त उपरोक्त भूमि के अध्यासन में है एवं उसका एकमात्र स्वामी है।

7. यह कि वादी द्वारा अभी हाल में दिनांक 02.12.2021 (दो दिसम्बर सन् दो हजार इक्कीस) को अपनी उपरोक्त वर्णित भूमि पर आवासीय निर्माण किये जाने के उद्देश्य से विकास कार्य प्रारम्भ किया गया तो प्रतिवादीगणों द्वारा अकारण ही वादी के विकास कार्य को बाधित करने का प्रयास किया गया, जिसका वादी ने घोर विरोध किया और पारस्परिक बंटवारे के आधार पर उनसे वादी के विकास कार्य में अवरोध न उत्पन्न करने का निवेदन किया, परन्तु उनके द्वारा वादी को विकास कार्य न करने की धमकी दी गयी, जिसका उन्हें विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है एवं उनके द्वारा उक्त पारस्परिक मौखिक विभाजन को मानने से इनकार कर दिया गया, जब कि उनके द्वारा उक्त विभाजन के माध्यम से प्राप्त भूमियों का उपयोग एवं विक्रय किया जा रहा है।

8. यह कि वाद सम्पत्ति में अपने अधिकारों की रक्षा हेतु कोई अन्य वैकल्पिक अनुतोष उपलब्ध न होने के कारण वादी को वर्तमान वाद माननीय न्यायालय के समक्ष संस्थित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुयी। अतः वर्तमान वाद वादी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष संस्थित किया गया।

9. यह कि वादी को वर्तमान वाद संस्थित किये जाने हेतु वाद कारण दिनांक 02.12.2021 (दो दिसम्बर सन् दो हजार इक्कीस) को तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगणों द्वारा वादीय भूमि पर वादी द्वारा कराये जा रहे विकास कार्य में अकारण बिना किसी अधिकार में अवरोध उत्पन्न किया गया।

10. यह कि वर्तमान वाद की सुनवाई का भौगोलिक क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है, क्योंकि वाद सम्पत्ति ग्राम–सरसंवा, परगना–लखनऊ, तहसील–सरोजनीनगर (पुरानी तहसील–लखनऊ) व जिला–लखनऊ में स्थित है जोकि माननीय न्यायालय के भौगोलिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है।

11. यह कि वाद का मूल्यांकन माननीय न्यायालय के आर्थिक क्षेत्राधिकार हेतु रूपये रू0 12,00,000/– (रूपये बारह लाख मात्र) है, जो कि वाद सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य है, जिसपर नियमानुसार अधिकतम न्याय शुल्क रू0 200/– (रूपये दो सौ मात्र) वास्ते घोषणात्मक आज्ञप्ति एवं न्याय शुल्क रू0 500/– (रूपये पांच सौ मात्र) वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा आज्ञप्ति कुल न्याय शुल्क रू0 700/– (रूपये सात सौ मात्र) का वादपत्र पर अदा किया गया है।

12. यह कि वादी निम्न अनुतोष हेतु याचना करता है–

क. कि जरिए घोषणात्मक आज्ञप्ति उदघोषित कर दिया जाय कि

जो कि पक्षकारों द्वारा दिनांक 11.10.2021 (ग्यारह अक्टूबर सन् दो हजार इक्कीस) को लिपिबद्ध किया गया है एवं उससे पूर्व हुए पारस्परिक पारिवारिक मौखिक समझौता के आधार पर वाद सम्पत्ति भूमि खसरा संख्या 783 (सात सौ तिरासी) क्षेत्रफल 0.1070 (शून्य दशमलव एक शून्य सात शून्य) हेक्टेयर, खसरा संख्या 784 (सात सौ चौरासी) क्षेत्रफल 0.5970 (शून्य दशमलव पांच नौ सात शून्य) हेक्टेयर, खसरा संख्या 790 (सात सौ नब्बे) क्षेत्रफल 0.2020 (शून्य दशमलव दो शून्य दो शून्य) हेक्टेयर, खसरा संख्या 791 (सात सौ इक्यानवे) क्षेत्रफल 1.9910 (एक दशमलव नौ नौ एक शून्य) हेक्टेयर, खसरा संख्या 792 (सात सौ बयानवे) ख क्षेत्रफल 0.0610 (शून्य दशमलव शून्य छः एक शून्य), खसरा संख्या 864 (आठ सौ चौसठ) क्षेत्रफल 1.232 (एक दशमलव दो तीन दो) हेक्टेयर, खसरा संख्या 866 (आठ सौ छांछठ) क्षेत्रफल 0.776 (शून्य दशमलव सात सात छः) हेक्टेयर कुल क्षेत्रफल 4.966 (चार दशमलव नौ छः छः) हेक्टेयर के 1/3 (एक/तीन) भाग, क्षेत्रफल 1.65506 (एक दशमलव छः पांच पांच शून्य छः) हेक्टेयर अर्थात 16550.6 (सोलह हजार पांच सौ पचास दशमलव छः) वर्गमीटर (जिसे वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में अक्षर अ ब स द व तिरक्षी हरी लाइनों से प्रदर्शित किया गया है उक्त मानचित्र वाद पत्र का अभिन्न अंग है) स्थितः ग्राम–सरसंवा, परगना–लखनऊ, तहसील–सरोजनीनगर, जिला–लखनऊ का

ख. कि स्थायी निषेधाज्ञा आज्ञप्ति द्वारा प्रतिवादीगण, उसने सहयोगियों, अभिकर्ता व उसके अधीन दावा करने वाले सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को निषेधित कर दिया जाये कि वे किसी भी प्रकार से वाद सम्पत्ति भूमि खसरा संख्या 783 (सात सौ तिरासी) क्षेत्रफल 0.1070 (शून्य दशमलव एक शून्य सात शून्य) हेक्टेयर, खसरा संख्या 784 (सात सौ चौरासी) क्षेत्रफल 0.5970 (शून्य दशमलव पांच नौ सात शून्य) हेक्टेयर, खसरा संख्या 790 (सात सौ नब्बे) क्षेत्रफल 0.2020 (शून्य दशमलव दो शून्य दो शून्य) हेक्टेयर, खसरा संख्या 791 (सात सौ इक्यानवे) क्षेत्रफल 1.9910 (एक दशमलव नौ नौ एक शून्य) हेक्टेयर, खसरा संख्या 792 (सात सौ बयानवे) ख क्षेत्रफल 0.0610 (शून्य दशमलव शून्य छः एक शून्य), खसरा संख्या 864 (आठ सौ चौसठ) क्षेत्रफल 1.232 (एक दशमलव दो तीन दो) हेक्टेयर, खसरा संख्या 866 (आठ सौ छांछठ) क्षेत्रफल 0.776 (शून्य दशमलव सात सात छः) हेक्टेयर कुल क्षेत्रफल 4.966 (चार दशमलव नौ छः छः) हेक्टेयर के 1/3 (एक/तीन) भाग, क्षेत्रफल 1.65506 (एक दशमलव छः पांच पांच शून्य छः) हेक्टेयर अर्थात 16550.6 (सोलह हजार पांच सौ पचास दशमलव छः) वर्गमीटर (जिसे वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में अक्षर अ ब स द व तिरक्षी हरी लाइनों से प्रदर्शित किया गया है उक्त मानचित्र वाद पत्र का अभिन्न अंग है) स्थितः ग्राम–सरसंवा, परगना–लखनऊ, तहसील–सरोजनीनगर, जिला–लखनऊ में

वादी के शांतिपूर्ण अध्यासन व उसके उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार से हस्तक्षेप विघ्न बाधा कारित न करें।

ग. कि वाद व्यय प्रतिवादीगण से वादी को दिलाया जाये।

घ. कि यदि वाद के परिस्थितियों में वादी किसी अन्य अनुतोष का अधिकारी पाया जाय तो वह अनुतोष वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रदान किया जाय।

लखनऊः दिनांकः
दिसम्बर 16, 2021

(मनोज सिंह)
वादी

(ए0 बी0 सिंह)
एडवोकेट
अधिवक्ता वादी

सत्यापन

मैं, मनोज सिंह, वादी यह सत्यापित करता हूँ कि वाद पत्र के प्रस्तर–1 से 8 तक में वर्णित तथ्य मेरे निजी जानकारी में सत्य है एवम् वाद पत्र के प्रस्तर 9 एंव से 12 में वर्णित तथ्य विधिक राय के अनुरूप सत्य होने की कामना करता हूँ।

आज दिनांक 16 माह दिसम्बर 2021 को लखनऊ में वाद पत्र पर अपने हस्ताक्षर बनाए।

प्रमाणित प्रतिलिपि

सिविल वाद संख्या सन् 2021

मनोज सिंह .... वादी

बनाम्

कमल सिंह व अन्य .... प्रतिवादीगण

मानचित्र